भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1044

जिसका उत्तर मंगलवार, 28 जुलाई, 2026/6 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री जन धन योजना

1044. श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:
श्री चुन्नीलाल गरासिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतगर्त आज की तिथि तक खोले गए खातों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) मई 2026 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाताधारकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाताधारकों को कोई सुविधा दी जा रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाताधारकों के लिए कोई न्यूनतम बैलेंस शुल्क है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) महिला जन धन खाताधारकों की संख्या कितनी है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) दिनांक 08.07.2026 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत कुल 58.70 करोड़ खाते खोले गए हैं।

(ख) मई 2026 तक पीएमजेडीवाई खाताधारकों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ग से च) प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खाता एक बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता है जिसे किसी भी बैंक शाखा में खोला जा सकता है। इन खातों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं: -

(i.) ओवरड्राफ्ट (ओडी) सीमा रु. 10,000 तक;

(ii.) दिनांक 28.8.2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के लिए 2 लाख रुपये (1 लाख रुपये से बढ़ाकर) के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड; तथा

(iii.) इन खातों में कोई खाता खोलने का शुल्क नहीं है और कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है।

(छ) दिनांक 08.07.2026 तक महिला जन धन खाताधारकों की संख्या 32.72 करोड़ है।

अनुबंध

मई'26 की स्थिति के अनुसार पीएमजेडीवाई खातों के संबंध में दिनांक 28.07.2026 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1044 के उत्तर भाग (ख) में उल्लेखित अनुलग्नक

(लाख में)

क्र .सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**पीएमजेडीवाई खातों की कुल संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.65
2	आंध्र प्रदेश	171.06
3	अरुणाचल प्रदेश	4.74
4	असम	258.38
5	बिहार	693.09
6	चंडीगढ़	3.44
7	छत्तीसगढ़	187.15
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2.46
9	दिल्ली	70.48
10	गोवा	2.33
11	गुजरात	198.53
12	हरियाणा	111.39
13	हिमाचल प्रदेश	20.03
14	जम्मू और कश्मीर	24.60
15	झारखंड	205.32
16	कर्नाटक	217.14
17	केरल	74.74
18	लद्दाख	0.22
19	लक्षद्वीप	0.11
20	मध्य प्रदेश	470.08
21	महाराष्ट्र	380.87
22	मणिपुर	10.85
23	मेघालय	9.10
24	मिजोरम	4.42
25	नागालैंड	4.11
26	ओडिशा	240.16
27	पुडुचेरी	2.89
28	पंजाब	99.61
29	राजस्थान	384.23
30	सिक्किम	1.09
31	तमिलनाडु	189.44
32	तेलंगाना	132.92
33	त्रिपुरा	11.62
34	उत्तर प्रदेश	1,035.75
35	उत्तराखंड	40.90
36	पश्चिम बंगाल	566.37
कुल		**5,830.27**
